चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 04.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 04.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(3). आज दिनांक 02.02.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में महाकुंभ 2025 व बसंती पंचमी मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत धरामघाट,निर्मोही अखाड़ा,यूपीटी तिराहा,बेडीपुलिया, धनुष चौराहा,पटेल तिराहा,बस स्टैण्ड,चकरेही चौराहा एवं मेला क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के आस पास भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 जनपद चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत एनसीआर नं0 100/2012 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.चन्द्रशेखर पुत्र रामकृपाल 2.जितेन्द्र पुत्र रामकृपाल निवासीगण हस्ता थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500-2500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 जनपद चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 129/2018 धारा 279,337,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त गुड्डू उर्फ लवलेश पटेल निवासी राजमन पटेल निवासी सेमरिया जगन्नाथवासी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0)/एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2012 धारा 380,411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मुन्नालाल पुत्र भगवानदीन निवासी राघोपुरी,सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 20.03.2012 को वादी बृजेन्द्र कुमार रावत निवासी राघवपुरी सीतापुर थाना कोतवली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी कि अभियुक्त मुन्नालाल द्वारा नवनिर्मित भवन में रखे लोहे के सामान कीमत करीब 16 हजार रूपये चोरी कर ले जाना। सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2012 धारा 380,411 भादवि0 बनाम मुन्नालाल पुत्र भगवानदीन उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री

इन्द्रपाल सिंह बुन्देला द्वारा को सुपुर्द की गयी। उपरोक्त उ0नि0 द्वारा आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 24.03.2012 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में गुमशुदाओं/बिछड़ों को उनके परिवारों से मिलाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में महाकुंभ 2025 व बसन्त पंचमी मेला डियूटी में शनि शिला पर लगी पुलिस टीम ने कामतानाथ मंदिर में दर्शन करने के दौरान अपने परिजनों से बिछड़ी बालिका को अथक प्रयास करते हुए महज 01 घंटे में उसके परिजन से मिलाया।

उल्लेखनीय है कि आज दिनाँक 04.02.2025 को श्रीमती रिंकी ठाकुर पत्नी धीरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम जनकपुर थाना जनकपुर जनपद धनुष नेपाल द्वारा सूचना दिया गया कि मेरी पुत्री ऋचा ठाकुर कामतानाथ मंदिर में दर्शन करने के दौरान हमलोगो से बिछड़ गयी। इस पर शनि शिला ड्यूटी में तैनात निरीक्षक श्री शम्भू दयाल मौर्य व उनकी टीम द्वारा महिला को महिला आरक्षी अंजली देवी के साथ गाड़ी पर बैठाकर बताये हुए स्थानों पर जाकर तलाश किया गया तो बालिका खोही तिराहा वाले रास्ते पर अकेली खड़ी थी जिसे उसकी माँ रिंकी ठाकुर द्वारा पहचान लिया गया। इस प्रकार पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए बालिका को सकुशल उसकी माता रिंकी ठाकुर को सुपुर्द किया गया।

सुपुर्द/बरामद करने वाली टीम-

1.निरीक्षक श्री शम्भू दयाल मौर्य

2.आरक्षी उज्जवल पाण्डेय

3.आरक्षी अश्वनी कुमार

4.आरक्षी प्रमोद कुमार

5.महिला आरक्षी अंजली देवी

6.महिला आरक्षी नरगिस बानो

(8). आज दिनांक 04.02.2025 को सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति की मंदाकिनी नदी में डूबकर मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उम्र- करीब 70 वर्ष

उचाई- करीब 05 फीट 00 इंच

पहनावा- नील लोवर, काला व सफेद लाइनदार रूमाल कमर में बंधा हुआ

रंग- गेहूआ

चेहरा- सामान्य,छोटे बाल रंग सफेद

शव की शिनाख्त/पहचान होने पर निम्नलिखित नम्बरों पर सम्पर्क करेः-

1.क्षेत्राधिकारी नगर मो0नं0 - 9454401356/9305101116

2.प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी मो0नं0 - 9454403205/9305101117

3.चौकी प्रभारी मण्डी समिति मो0नं0 - 9170426867